रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 1982/ज्येष्ठ 14, 1904
No. 230] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 1982/JYAISTHA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1982

का० आ० 387(अ)—भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 82 का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:—

1. (1) ये नियम रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) (संशोधन) नियम, 1982 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. (1) नियम 3 के नीचे स्पष्टीकरण में, "अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधीश और असम राज्य में राजनैतिक अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अपर जिलान्यायधीश शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) नियम 4 के उप नियम (3) में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाए, अर्थात्:—

नियम 4(1) के उपबन्धों के बावजूद छोटी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों की जांच और उन्हें निर्धारित करने के लिए एक तदर्थ दावा आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, अगर उसके विचार में ऐसा करना ऐसे दावों के शीघ्र निपटान के लिए कालोचित है और वह ऐसे कई मामले जो पदेन दावा आयुक्त के पास अनिर्णीत पड़े हों ऐसे तदर्थ दावा आयुक्त को स्थानान्तरित कर सकता है और जब तक तदर्थ दावा आयुक्त कार्यरत रहता है, पदेन दावा आयुक्त का ऐसे मामलों के संबंध में फिर कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा।

3. नियम 5 के उप नियम (1) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:—

(1) किसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावों की जांच और निर्धारण के लिए नियुक्त तदर्थ दावा आयुक्त को ऐसा मेहनताना, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. नियम 5 के उप नियम (2) में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए, अर्थात्:—

उसे उसके द्वारा गुणावगुण के आधार पर, दुर्घटना की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर निर्णीत प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त मानदेय भी दिया जाएगा।

[सं० 82टीजीII/1026/एआर]

हिम्मत सिंह, सचिव

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1982

S.O. 387(E).—In exercise powers conferred by section 82 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1950, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Accidents (Compensation)(Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Explanation below rule 3, for the words "an Additional Chief Presidency Magistrate, an Additional District Magistrate and in the State of Assam Political officer in that State", the words "an additional Chief Presidency Magistrate and an Additional District Magistrate" shall be substituted.

(2) for sub-rule (2) of rule 4, the following paragraph shall be added, namely :

"It may also appoint, not withstanding the provisions of rule 4(1), an adhoc Claims Commissioner to enquire into and determine claims arising out of a minor accident if, in its opinion, it is expedient to do so in the interests of speedy disposal of such claims and transfer to such ad hoc Claims Commissioner any cases of claims pending with ex officio Claims Commissioners in the area who shall then ceases to have jurisidiction in respect of such cases so long as the ad hoc Claims Commissioner holds office";

(3) for sub-rule (1) of rule 5, the followng shall be substituted :

"(1) An ad hoc Commissioner appointed to enquire into and determine claims arising out of an accident shall be paid such remuneration and such travelling and other allowances as may be determined by the Central Government;"

(4) for sub-rule (2) of rule 5, the following paragraph shall be added, namely :—

"He may also be paid a suitable honoratium as determined by the Central Government per case decided by him on merits within a period of six months from the date of accident."

[No. 82/TG II/1026/A. R.]
HIMMAT SINGH, Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982